

संचालनालय
महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नया रायपुर,
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax), E-Mail : dirwcd.cg@nic.in

(आईसीपीएस प्रकोष्ठ)

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन कर समिति का गठन/पुनर्गठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से **दिनांक 31 दिसम्बर 2016** तक आवेदन आमंत्रित हैं।

1. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में रिक्तियों का विवरण -

क.	पदनाम	रिक्त संख्या		मानदेय
		जिले का नाम	सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता	
1	किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता -	बिलासपुर	रिक्त-1 (महिला)	1000/- प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
		रायगढ़	रिक्त-2 (एक महिला)	
		धमतरी	रिक्त-2 (एक महिला)	
		कवर्धा	रिक्त-1	
		दंतेवाड़ा	रिक्त-2 (एक महिला)	
		बस्तर	रिक्त-2 (एक महिला)	
		कोरबा	रिक्त-1 (महिला)	
		कोरिया	रिक्त-1	
		जशपुर	रिक्त-2 (एक महिला)	
		राजनांदगांव	रिक्त-1	
		सरगुजा	रिक्त-1 (महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त-1	
		बालोद	रिक्त-1	
		बलरामपुर	रिक्त-2 (एक महिला)	
		नारायणपुर	रिक्त-1 (महिला)	
		बीजापुर	रिक्त-2 (एक महिला)	
		सुकमा	रिक्त-2 (एक महिला)	
		कोण्डागांव	रिक्त-1	
		बेमेतरा	रिक्त-2 (एक महिला)	
		कांकेर	प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु पात्र पुरुष एवं महिला आवेदकों से आवेदन आमंत्रित है।	
		रायपुर		
दुर्ग				
मुंगेली				
बलौदाबाजार				
महासमुंद				
जांजगीर चापा				
सूजरपुर				

K

2	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य	1000/- प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
		रायपुर	-	रिक्त-1	
		रायगढ़	-	रिक्त-1	
		धमतरी	-	रिक्त-3	
		कवर्धा	-	रिक्त-4	
		दंतेवाड़ा	-	रिक्त-4	
		बस्तर	-	रिक्त-2	
		कोरबा	-	रिक्त-4 (एक महिला)	
		कोरिया	-	रिक्त-3	
		कांकेर	-	रिक्त-2	
		जांजगीर चांपा	-	रिक्त-2	
		जशपुर	-	रिक्त-2	
		सूरजपुर	-	रिक्त-3	
		सरगुजा	-	रिक्त-2	
		महासमुंद	-	रिक्त-1	
		बालोद	-	रिक्त-3	
		बलौदाबाजार	-	रिक्त-3	
		मुंगेली	रिक्त-1	रिक्त-2 (एक महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त-1	रिक्त-3	
		बलरामपुर		रिक्त-2	
		बेमेतरा	रिक्त-1	रिक्त-3 (एक महिला)	
		बीजापुर	रिक्त-1	रिक्त-4 (एक महिला)	
		नारायणपुर	-	रिक्त-3	
		सुकमा	रिक्त-1	रिक्त-3	
दुर्ग	प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु पात्र पुरुष एवं महिला आवेदकों से अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित है।				
राजनांदगांव					
कोण्डागांव					
बिलासपुर					

1. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं www.cgwcd.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदन प्रेषित करने का पता - संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ 492002।
4. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।
5. आवेदक का आवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर-छत्तीसगढ़


नियम व शर्तें (किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति दोनों के लिए)

- 4.1 आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2017 से की जायेगी ।
- 4.2 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 87 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।
- 4.3 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 4(4) अनुसार –**
“बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।”
- 4.4 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल –**
- (1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
 - (2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
 - (3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।
 - (4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
- 4.5 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (4) के अनुसार बालक कल्याण समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
- 4.6 अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच करने के पश्चात् समाप्त की जा सकती है, यदि वह सदस्य–
- (1) इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है;या
 - (2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है;
 - (3) किसी वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है;
 - (4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।
- 4.7 अधिनियम की धारा 27(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि
- (1) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो;
 - (2) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है;
 - (3) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन-चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (5) के अनुसार समिति में चयन होने पर सभी व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि में नियम 89 के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

- 4.8 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (6) के अनुसार बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- 4.9 नियम 2016 के नियम 88(4) के अनुसार –
“चयन समिति योग्यता, बालको के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।”
- 4.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 88 (5) अनुसार चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य–
- ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो;
 - बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो;
 - अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो;
 - दिवालिया न हो।
- 4.11 सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहूत बैठक में कम से कम पांच घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
- 4.12 सदस्यों की वर्ष में कम से कम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 4.13 प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 1000/- या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रत्येक सदस्य को देय होगा।
- 4.14 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी।
- 4.15 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अंकसूची संलग्न होना चाहिए।
- 4.16 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 4.17 शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारी आवेदन हेतु अपात्र होंगे परन्तु ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जो बैठकों के लिए पर्याप्त समय दे सकते हों।
- 4.18 निर्धारित संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए प्रतीक्षा सूची का पैनल बनाया जायेगा।
- 4.19 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
5. चयन संबंधी समस्त जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए <https://www.cgstate.gov.in/> अथवा <https://www.cgwcd.gov.in/> का अवलोकन करते रहे।
6. आवेदन प्रेषित करने का पता – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ 492002।
7. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।

8. आवेदक का आवेदन 31 दिसम्बर 2016 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।
9. प्राप्त आवेदनों के संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
10. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cg.gov.in पर देखी जा सकती है ।
11. सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा ।


आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर-छत्तीसगढ़

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति / सदस्य बालक कल्याण समिति / सदस्य किशोर न्याय बोर्ड
हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक द्वारा स्व
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटों

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर-छत्तीसगढ़

1. वांछित सदस्यता / अध्यक्षता - अध्यक्ष बालक कल्याण समिति / सदस्य बालक कल्याण समिति / सदस्य किशोर न्याय बोर्ड-
जिला :-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
3. पिता / पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-
- दूरभाष / मोबाईल..... ईमेल -
6. जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
7. दिनांक 01 / 01 / 2017 को आयु :-
8. लिंग पुरुष / महिला :-
9. जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) :- जाति वर्ग
10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :-
11. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
12. आवेदक पूर्व में बालक कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड का सम्मानित अध्यक्ष / सदस्य के रूप में रहा है / रही है तो चिह्नंकित करें :-
अध्यक्ष बालक कल्याण समिति
सदस्य किशोर न्याय बोर्ड
सदस्य बालक कल्याण समिति
13. आवेदक का व्यवसाय :-

✓

4. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता/अनुभव विज्ञापन द्वारा चाहे गये अर्हताओं के प्रकाश में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची
5. अनुभव प्रमाण पत्र
6. आवेदक पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर विधि विरुद्ध कार्य में संलग्न न रहने, किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने, किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो, दिवालिया न हो शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
7. आवेदक छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी होने का निवास/मूल प्रमाण पत्र संलग्न करे।
8. यदि आवेदक पूर्व में अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य कशोर न्याय बोर्ड / सदस्य बालक कल्याण समिति रहा है तो स्थान एवं कार्य अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....
- 2.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान - _____
दिनांक - _____

✓